

उस सरकारी कर्मचारी द्वारा, जो मकान किराया भते की मंजूरी के लिए आवेदन कर रहा है, प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि:—

1. मैं.....(नगर/कस्बे का नाम) की नगरपालिका सीमाओं के भीतर स्थित किराये के मकान में रह रहा हूँ और किराये के प्रति कुछ व्यय उपगत कर रहा हूँ। किराये के प्रति अंशदान कर रहा हूँ।
2. आवास का कोई हिस्सा, जिसके बारे में मकान किराये भते का दावा किया गया है, उप-किराये पर नहीं किराये पर नहीं दिया गया है/उप-किराये पर दिया गया है जिसके लिए..... रूपये मासिक किराया प्राप्त किया गया है।
3. मैं.....(नगर/कस्बे का नाम) की नगरपालिका सीमाओं के भीतर स्थित मकान में रह रहा हूँ जो मेरे स्वयं के, मेरी पत्नी/मेरे पति/संतान/पिता/माता/हिन्दू अविभाज्य कुटुम्ब जिसका मैं सहदायिक हूँ के स्वामित्व का है और मैं मकान या सम्पतिकर या मकान के रख रखाव के प्रति संदाय/अंशदान कर रहा हूँ।
4. मुझे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या नगरपालिकाओं आदि जैसे स्वायत्तशासी लोक उपक्रम या निकाय या निगम या अर्द्ध सरकारी संगठन द्वारा सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. मैं ऐसे सरकारी आवास में नहीं रह रहा हूँ जो किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को आवंटित किया गया है।

हस्ताक्षर कर्मचारी